

पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तिसगढ़ विलासपुर(छ0ग0)



योजना प्रतिवेदन

पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ एण्ड लेबर वेलफेयर

सत्र: 2020–2021 (जुलाई – जुन)

विषय:— भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम के तहत चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के संदर्भ में विशेष अध्ययन ।

विद्यार्थी का नाम – उपेन्द्र कुमार महतो

इनरोलमेन्ट न0— **KS216617**

मोबाइल न0 – 7979972296

अध्ययन केन्द्र – (B1101) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय विलासपुर(छ0ग0)

स्व-घोषणा पत्र

मैं उपेन्द्र कुमार महतो, पिता श्री-गहनुराम महतो, ग्राम- नवाडीह, पोस्ट-टांगटोना, थाना-कसमार, जिला-बोकारो, राज्य-झारखण्ड का निवासी हूँ तथा प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिखा गया परियोजना प्रतिवेदन भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम के तहत चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के संदर्भ में विशेष अध्ययन के बारे में हैं तथा मेरे जानकारी में सत्य है जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रारूप के मापदण्डों पर आधारित है।

स्थान: चित्तरंजन
दिनांक: 30.05.2021

उपेन्द्र कुमार महतो
(उपेन्द्र कुमार महतो)
घोषणाकर्ता

■ उद्देश्य:→

प्रमुख उद्देश्य भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम के तहत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (Chittaranjan Locomotive works) के अंतर्गत श्रमिकों के कार्य की दशाओं, पेयजल, रोशनी, स्वास्थ्य और मेडिकल संबंधी सुविधाएं, अवकाश संबंधी सुविधाएं, कार्यशील के घण्टे, आवास संबंधी सुविधाएं आदि के बारे में अध्ययन करना ।



परिचय :-→

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी देशबन्धु चित्तरंजन दास के नाम पर किया गया है। यह देश में विद्युत रेलइंजन का एकमात्र प्रमुख निर्माता है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है और आसनसोल से लगभग 32 किलोमीटर तथा कोलकाता से 237 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज जिस स्थान पर चिरेका स्थित है, वहाँ वास्तव में पहले छोटे-छोटे गाँवों का समूह था। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) राष्ट्र के स्वप्नद्रष्टाओं का एक सपना था जो सच साबित हुआ। इस राष्ट्र के योजनाकारों ने अपनी अंतर्दृष्टि एवं दूरदृष्टि से पश्चिम बंगाल में एक रेलइंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई और चिरेका इस सपने को पूरा करने के लिए सफल साबित हुआ।



चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना कार्यालय

विगत तीस के दशक में, मेसर्स हमफ्री एवं श्रीनिवासन के नेतृत्व में एक रेलइंजन निर्माण इकाई की स्थापना की संभावनाओं तथा इसकी आर्थिक क्षमता की जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई। पश्चिम बंगाल राज्य में काँचरापाड़ा के निकट चाँदमारी नामक स्थान पर प्रारंभिक परियोजना देश के विभाजन के कारण विकसित नहीं हो सकी जिसके कारण स्थान परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। रेलइंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने का मुद्दाकेन्द्रीय विधान-मंडल के सक्रिय विचाराधीन निरंतर रहा और दिसम्बर, 1947 को रेलवे बोर्ड ने मिहिजाम के निकट चित्तरंजन में फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया। 9 जनवरी, 1948 को प्रस्तावित क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ की पथरीली भूमि संरचनात्मक कार्य के परिनिर्माण नींव हेतु काफी उपयोगी सिद्ध हुई तथा उबड़-खाबड़ भू-भाग ने नगरी के जल निकास की समस्या को सुलझा दिया जबकि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना एवं आस-पास के सन्निकट थर्मल पावर स्टेशनों से ईंधन के लिए पर्याप्त बिजली की प्राप्ति सुनिश्चित हुई। रेलइंजन कारखाना के पास अपने सहायक कारखानों सहित कोलकाता में एक भंडार क्रय कार्यालय तथा नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं बंगलौर में निरीक्षण सेल हैं। कारखाना एवं नगरी 18.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता फैक्ट्री है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने WAP-7, WAP-5, WAG-9, WAG-7, WAP-4 जैसे पावरफुल इंजनों का निर्माण किया है। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) में उत्पादन की गतिविधि 26 जनवरी, 1950 को शुरू की गयी थी जिस दिन भारत

गणतंत्र बना। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना का प्रारंभिक उत्पाद वाष्प रेलइंजन था। वर्ष 1950-1972 की अवधि में चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने ने 2351 वाष्प रेलइंजनों का उत्पादन किया। वर्ष 1968 से 1993 तक चिरेका ने 842 डीजल रेलइंजन का निर्माण किया एवं वर्ष 1961 से 31-03-18 तक विभिन्न प्रकार के कुल 6379 विद्युत रेलइंजनों का उत्पादन किया है। इन वर्षों में चिरेका एक अत्यन्त संपन्न, आशाजनक एवं

विश्वसनीय रेलइंजन निर्माता प्रमाणित हुआ है। इसने अपने आप को वाष्प रेलइंजन निर्माता से डीजल रेलइंजन निर्माता एवं अंत में आधुनिक, उच्च शक्ति वाले विद्युत रेलइंजन के निर्माता के रूप में परिवर्तित किया है। इस साहसिक कार्य का प्रतिफल मिला है और चिरेका वर्तमान में नवीनतम “इन्सुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर” (आईजीबीटी) प्रौद्योगिकी के सभी आधुनिक विशेषताओं सहित अत्याधुनिक 3-फेज रेलइंजनों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युत रेलइंजन निर्माता है। चिरेका एसी कर्षण मोटर, स्वीच गियर/कंट्रोल गियर, बोगी कास्ट एवं फैब्रिकेटेड, हवील सेट्स एवं स्टील कास्टिंग का भी निर्माण करता है। वर्तमान में, चिरेका भारतीय रेल को उच्च गति एवं भारी वजन खींचने वाले विद्युत कर्षण के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एवं इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य कर रहा है। इतने वर्षों के हमारे समर्पित प्रयास से माल एवं यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने में इस रेल इंजन कारखाने का तेजी से संवृद्धि और विकास हुआ है।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के अंतर्गत लगभग 14000 की संख्या में रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी मिलजुल कर एक साथ रेल इंजन के उत्पादन में कार्यरत हैं। तथा इस उत्पादन कार्य में रेलवे के अलग अलग विभाग जैसे कार्मिक विभाग, इंजिनियरिंग विभाग, यांत्रिक इंजिनियरिंग विभाग, विद्युत इंजिनियरिंग विभाग, मेडिकल विभाग, सर्तकता विभाग, स्टोर विभाग, वित्त विभाग तथा सुरक्षा विभाग । ये सभी विभागों के अपनी जिम्मेदारी तथा इनके बीच में समन्वय पूर्वक एवं कुशल संबंध के साथ शुरुआती दौर से अच्छा रहा है ।

■ परिकल्पना

सभी आवश्यक नियमों एवं अधिनियमों के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण के फलस्वरूप ही चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) हमेशा से ही भारत के प्रमुख रेल इंजन निर्माताओं की सूची में अग्रणी रहा है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) ने रेल इंजन निर्माण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर किसी भी रेल इंजन कारखाना की तुलना में दुनिया में सबसे बड़ा विद्युत रेल इंजन निर्माता के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पिछले सभी कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए चिरेका ने 1961-62 की शुरुआत काल से 25 जनवरी 2021 तक 7500 विद्युत रेल इंजन का उत्पादन करके फिर एक नया इतिहास रचने में सफल रहा। रेलवे बोर्ड सदस्य राजेश तिवारी, चिरेका महाप्रबंधक सतीश कुमार कश्यप ने चिरेका लोको साइडिंग से ऐतिहासिक 7500 वें विद्युत रेल इंजन (33023) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोर्ड सदस्य राजेश तिवारी ने इस उपलब्धि के लिए चिरेका के समर्पित कर्मचारियों व अधिकारियों की टीम के प्रयासों

की सराहना की। उन्होंने कहा कि चिरेका चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए सक्षम और प्रयासरत है जो एक भारतीय रेल के मानचित्र पर नए युग की शुरुआत हो सकती है। इससे पूर्व राजेश तिवारी ने महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कारखाना के लोको असेंबली, टीएम सेल, बोगी, व्हील शॉप का निरीक्षण किया। बोर्ड सदस्य ने महाप्रबंधक के साथ चिरेका की प्रगति रिपोर्ट एवं वर्तमान और अगले वित्तीय वर्ष के उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रमुख विभागाध्यक्ष, पर्यवेक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे।




❖ इतिहास एवं रेल इंजन के निर्माण की स्थिति

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (Chittaranjan Locomotive works) के निर्माण के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण भागों एवं तत्वों को, जो एक कारखाना स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है पुरा करते हुए स्थापित किया गया है।

::7::

आज जिस स्थान पर चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना स्थित है, वहाँ वास्तव में पहले छोटे-छोटे गाँवों का समूह था। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) राष्ट्र के स्वप्नद्रष्टाओं का एक सपना था जो सच साबित हुआ। इस राष्ट्र के योजनाकारों ने अपनी अंतर्दृष्टि एवं दूरदृष्टि से पश्चिम बंगाल में एक रेलइंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी, नेता और राजनेता देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। 1948 में चीफ इंजीनियर श्री एम.गणपति के नेतृत्व में "लोको बिल्डिंग फैक्ट्री" के नाम से स्थापित इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी गयी थी। चिरेका इस सपने को पूरा करने के लिए सफल साबित हुआ। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना का प्रारंभिक उत्पाद वाष्प रेलइंजन था। 26 जनवरी 1950 को जब राष्ट्र ने अपने सविधान की स्थापना करते हुए गणराज्य की स्थापना की थी, ठीक उसी समय बंगाल के एक छोटे से गाँव में देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी श्रीमती बसंती देवी द्वारा इस लोकोमोटिव बिल्डिंग फैक्ट्री का प्रथम उत्पादन कार्य का शुभारम्भ किया गया।



प्रथम दिन से ही राष्ट्र निर्माण के लिए उत्साहित एवं समर्पित इस संस्थान द्वारा शुरुआत के 280 दिनों में 1 नवंबर 1950 को "देशबंधु" नाम के पहले स्टीम इंजन का अनावरण किया गया। इस स्टीम रेल इंजन को भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया था और उसी दिन इस फैक्ट्री का नाम बदलकर प्रसिद्ध देशभक्त और समाजसेवी श्री देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर "चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना" या "चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स" रखा गया।

वर्ष 1950-1972 की अवधि में चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने ने 2351 वाष्प रेलइंजनों का उत्पादन किया। वर्ष 1968 से 1993 तक चिरेका ने 842 डीजल रेलइंजन का निर्माण 1968 के दौरान डीजल हाइड्रॉलिक रेलइंजनों का उत्पादन शुरू हुआ।

5 प्रकार के 2351 वाष्प रेलइंजन और 7 प्रकार के 842 डीजल हाइड्रॉलिक रेलइंजनों का विनिर्माण करने के बाद वाष्प और डीजल हाइड्रॉलिक रेलइंजनों का उत्पादन क्रमशः 1973-74 एवं 1993-94 से बंद कर दिया गया। वर्ष 1961 में विद्युत रेलइंजनों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। इस प्रक्रिया में, चिरेका ने पन्द्रह प्रकार के विद्युत रेलइंजनों का उत्पादन किया एवं इस श्रृंखला में डब्ल्यूएजी-9i मालवाही रेलइंजन तथा डब्ल्यूएपी-7 यात्रीवाही रेलइंजन नवीनतम हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को प्रथम 1500 वोल्ट डीसी रेलइंजन लोकमान्य का शुभारंभ किया। 25 केवी एसीडीसी रेलइंजनों का उत्पादन 16 नवम्बर 1963 से प्रारंभ हुआ। चिरेका द्वारा 2840 अश्वशक्ति का एक ब्रॉड गेज 25 केवीएसी अधिकतम गति 80 कि.मी घंटा का मालवाही प्रथम विद्युत

रेलइंजन विधान (डब्ल्यूएजी-1) निकाला गया। बाद में चिरेका ने रेलइंजन की अश्वशक्ति 2840 से बढ़ाकर 6000 और अधिकतम गति को 80 कि.मी.प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 कि.मी.प्रति घंटा तक उन्नत किया। पश्चिम रेलवे में बीआरसी से बीसीटी तक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को खींचने के लिए चिरेका ने 25 केवीएसी/1500 वोल्ट डीसी, एसी/डीसी रेलइंजन भी निर्मित किए। चिरेका अत्याधुनिक 3 फेज़ जीटीओ थॉयस्सिटर नियंत्रित विद्युत रेलइंजन एवं प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित 6000 अश्वशक्ति मालवाही विद्युत रेलइंजन डब्ल्यूएजी-9 का विनिर्माण कर,

विकासशील देशों में प्रथम, एशिया में द्वितीय एवं विश्व में पांचवी उत्पादन इकाई है। इसे *नवयुग* नाम दिया गया एवं इसे 14 नवम्बर, 1998 से चालू किया गया। वर्ष 2000-01 में 3 फेज़

डब्ल्यूएपी-5 रेलइंजन *नवोदित* के यात्रीवाही वर्जन 160 कि.मी. प्रतिघंटा अधिकतम सेवा अवधि एवं 200 कि.मी./प्रति घंटा तक संभावित गति का विनिर्माण किया गया। 3 फेज़ रेलइंजनों के स्रोतों का विकास, स्वदेशीकरण तथा लागत में कमी उच्च प्रथमिकता वाली मद्दें हैं। आयायित 3 फेज़ रेलइंजन की उच्चतम लागत रू.35 करोड़ से घटाकर लगभग रू.12.5 करोड़ की गई। आशा है कि इसमें और अधिक कमी आएगी यदि चिरेका द्वारा इस प्रकार के रेलइंजन उत्पादन में वृद्धि की जाए। डीसी कर्षण मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों का उत्पादन अप्रैल 1967 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में डीसी एवं एसी दोनों प्रकार के कर्षण मोटरों का विनिर्माण किया जा रहा है। रेलइंजन पुर्जों की इस्पात ढलाई के विनिर्माण के लिए वर्ष 1962-63 में इस्पात फाउण्ड्री की स्थापना की गई। चिरेका में व्हील सेटों की

मशीनिंग और एसेम्बली, बोगियों के फेब्रीकेशन व मशीनिंग आदि सुविधाएँ घरेलू स्तर पर मौजूद हैं। इनमें आधुनिक सीएनसी मशीनें, प्लाज्मा-कटिंग मशीनें, इनर्ट गैस वेल्डिंग सेट आदि सुविधाएं शामिल हैं।

■ श्रमिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान—

कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाना में कार्य करनेवाले श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधी प्रावधान किये गये हैं । श्रमिक हरेक देश की प्रमुख इकाई होती है क्योंकि इसका देश के विकास में प्रमुख योगदान है। यदि श्रमिक न हो तो देश में स्थापित कल-कारखाने में कार्य कैसे और कौन करेगा। श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए सुचारु रूप से कार्य करने हेतु श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है इसलिए भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम -1948 पारित किया तथा इस अधिनियम की धारा 11 से लेकर 20 तक श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

■ कारखाना अधिनियम -1948 के तहत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (Chittaranjan Locomotive works) में श्रमिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान—

1) स्वच्छता — कारखाना अधिनियम की धारा-11 के तहत इस कारखाने में श्रमिकों के लिए स्वच्छता की उचित व्यवस्था की गई है। कारखाने एवं इसके परिसर में धूल, गर्दा एवं गंदगी को एकत्र नहीं होने देने के लिए सफाईकर्मियों की नियुक्ति की जाती है।

इन सफाईकर्मियों का उत्तरदायित्व होता है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखानें एवं इसके परिसर को गंदगी से मुक्त रखना तथा ये सभी सफाईकर्मी अपने सफाई के कार्य में लगातार लगे रहते हैं। जिसके लिए समय-समय पर सभी कमरों की पुताई की जाती है सड.कों, कार्यालयों, एवं कारखाने के परिसर में जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई है जिसके कारण जल का जमाव नहीं हो पाता है।

2) मल तथा उत्सर्गों का निस्तारण— कारखाना अधिनियम की धारा-12 की तहत मल और उत्सर्गों के निस्तारण की उचित व्यवस्था की गई है चित्तरंजन रेल इंजन कारखानें में कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मल और उत्सर्गों के निस्तारण की उचित व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिससे कारखाना परिसर को स्वच्छ तथा सभी श्रमिकों को शरीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सके।

3) हवादार और तापमान—

कारखाना अधिनियम की धारा-13 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन के इस कारखाने में श्रमिकों के लिए जहाँ से वे कार्य करते हैं, और जहाँ से आना-जाना करते हैं, वहां पर कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार से आवश्यकतानुसार हवादार, प्रकाश और तापमान की उचित व्यवस्था की गई है। एवं हवा और पानी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।

4) कृत्रिम नमीकरण — कारखाना अधिनियम की धारा -15 के तहत इस कारखाने के श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कृत्रिमरूप से हवा में नमीकरण को

बढाने के लिए कार्यस्थल में वेंटीलेशन की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की गई है।

5) अतिसंकुलताया बहुत अधिक भीड.— कारखाना अधिनियम की धारा 16 के तहत चित्तरंजन के इस कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के ड्युटी को तीन पारियों में बांटकर कार्यस्थल में लगाया जाता है जिससे कि श्रमिकों के भीड. को नियंत्रण में रखा जा सके। क्योंकि अत्यधिक भीड. से अधिक मात्रा में कार्बन—डाई—ऑक्साइड की गैस एकत्रित होने लगती है जिससे साँस के द्वारा हमारे शरीर में कार्बन—डाई—ऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा प्रवेश होने लगती है तथा श्रमिक इससे बिमार और अस्वस्थ हो सकते हैं अतः भीड. को नियंत्रण करके इसपर रोक लगाई गयी है।

6)रोशनी की व्यवस्था —

भारतीय औधोगिक कारखाना अधिनियम की धारा—17 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के हर एक भाग में जहां पर रेलवेकर्मि या कर्मकार काम करते हैं या जहां से गुजरते हैं प्राकृतिक, कृत्रिम अथवा दोनों प्रकार की पर्याप्त और यथोचित रोशनी की व्यवस्था की गई है। वर्कशॉप के अंदर काम करने के कमरों में रोशनी करने के लिए प्रयुक्त सब शीशे वाली खिड़कियों और रोशनदानों को बाहरी और भीतरी दोनों ओर से साफ समय—समय पर किया जाता है जिससे रोशनी की पर्याप्त मात्रा कमरो के भीतर तक पहुँच सके। तथा विद्युत उर्जा के अलावे सौर उर्जा के माध्यम से भी पूरे चित्तरंजन कारखाने के सभी स्ट्रीटों को एवं रेल आवास परिसर को स्ट्रीट लाइट के द्वारा रोशनी की जाती है।

सौर ऊर्जा की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सौर प्लांट की स्थापना की गई है।

i) 100 KW- रूफटॉप सोलर पावर प्लांट:-CLW (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना) ने अगस्त-2017 के महीने में प्रशासनिक भवन की छत पर 100KW ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है।

ii) 46KW- CLW (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना) सोलर पावर प्लांट की छत:- CLW ने 46 KW ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। संयंत्र को जनवरी- 2019 में चालू किया गया था।

iii) 1MW- रूफटॉप सोलर पावर प्लांट: - CLW (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना) ने नेट-मीटरिंग सुविधा के साथ 1MW क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। संयंत्र 25.02.19 को चालू किया गया था।

iv) 5MW- CLW (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना) सोलर पावर प्लांट की छत:- CLW ने CLW की मुख्य वर्कशॉप की छतों पर 5MW क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए PPA समझौता किया है।



CLW (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना) सोलर पावर प्लांट

8) पीने के लिए जल की व्यवस्था

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-18 के परिपेक्ष्य में बताना है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के अंतर्गत यथोचित स्थलों पर पीने के जल के पर्याप्त व्यवस्था के लिए सिद्धबाड़ी पंपिंग स्टेशन से पानी भेजा जाता है जिसके लिए चार पंप लगे हैं। प्राप्त कच्चे पानी को पंप हाउस में फिल्टर किया जा रहा है। फिल्टर हाउस में 13 पंप लगे हैं। कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए "डैम पंप हाउस" में पांच पंप और "ऑफिस रोड पंप हाउस" में दो पंप स्थापित किये गये हैं। हैं।



जो वहां नियोजित सब रेल कर्मकारों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित हों स्वच्छ पीने के जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रभावपूर्ण इन्तजाम किए जाएंगे। कारखाने में नियोजित कर्मकारों की बहुसंख्या समझती है सुपाठ्य रूप से पीने का जल" लिखा होगा और कोई भी ऐसा स्थल, [किसी धोने के स्थान, मूत्रालय, शौचालय, थूकदान, मैला पानी या बहिःस्राव को ले जाने वाली खुली नाली या संदूषण के किसी अन्य स्रोत के छह मीटर के अंदर] स्थित नहीं होगा जब तक कि उससे कम दूरी मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखकर अनुमोदित नहीं की जाती कारखाने में जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं गर्मी के मौसम में पीने के जल को प्रभावपूर्ण साधनों से ठंडा करने और उसके वितरण के लिए व्यवस्था की जाएगी।

9) शौचालय और मूत्रालय— कारखाना अधिनियम की धारा – 19 के तहत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के अंतर्गत यथोचित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय की उचित व्यवस्था की गई है महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था गई है। इन शौचालयों और मूत्रालयों को स्वच्छ रखने के लिए निरंतर सफाई की जाती है। जिससे श्रमिकों को रोगों से मुक्त रखा जा सके एवं इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में बाधा न पहुँचे।

10) थुकदान – कारखाना अधिनियम की धारा –20 के तहत इस कारखाने में पर्याप्त थुकदान की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिक अपने कार्य के दौरान इन्हीं थुकदान का उपयोग करते हैं। थुकदान श्रमिकों के सुविधाजनक स्थानों में रखा गया है एवं इन थुकदानों की निरंतर और समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।

■ मेडिकल सुविधा —

चित्तरंजन रेल इंजरन कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों को बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए कस्तुरबा गाँधी अस्पताल स्थापना किया गया है जिसका उदघाटन तत्कालीन राज्यपाल डॉ. के. एन. काटजू के द्वारा 12 फरवरी 1951 ई. में किया गया था जिसमें 50 शय्या की व्यवस्था थी जो वर्तमान समय में 197 शय्याएं और 16 शय्याओं वाला आइ. सी. यु भी हैं जिसमें बेड-साइड मॉनिटर, वेंटीलेटर एवं एबीजी ऐनालाइजर लगे हुए हैं। ऑपरेशन थियेटर में हारमोनिक स्केपल, रिमोट नियंत्रित ऑपरेशन टेबुल, आर्गोन प्लाज्मा, 3 डी विडियो इंडोस्कोप एवं अल्ट्रा मॉडर्न लाइटें लगी हुई है। कार्डियोलोजी विभाग में सीटीएमटी मशीनें 2-डी इको के लिए कलर डॉप्लर से सुसज्जित हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, कम्प्यूटरीकृत स्पाइरोमीटर, एक्स-रे, डिजीटल एक्स-रे मशीनें, फ्लेक्सीबल गैस्ट्रोस्कोप, आर्थोस्कोप, ब्रॉस्कोप मशीनों की मदद से रोगियों को न्यूनतम इनवेसिव थेरेपी दी जाती है। नेत्र विभाग में ऑटो पैरीमीटर, स्लिट लैंप, ऑटोरिफ्रेक्टामीटर हैं जिसकी मदद से श्रमिकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की आँखों की बेहतर देखभाल की जाती है। संपर्ण अस्पताल में सेंट्रल मेडीकल गैस पाइप लाइन मुहैया कराई गई है। ऑपरेशन थियेटर में भी पाइप लाइन गैस मुहैया करवाई गई है। विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों की नेतृत्व में यह अस्पताल को संचालन कराया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल है यह अस्पताल पूर्व रेलवे जोन के अधीन में आता है। इसके अलावा इस अस्पताल में पूर्ण रूप से सुसज्जित फिजियोथेरेपी इकाई, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, दांत विभाग हैं। चित्तरंजन नगरी के निवासियों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ 5 स्वास्थ्य इकाईयां और कारखाना में एक प्राथमिक उपचार पोस्ट भी है तथा एक एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा में कार्यरत है।



कस्तुरबा गाँधी अस्पताल चित्तरंजन



कस्तुरबा गाँधी अस्पताल चित्तरंजन

■ सुरक्षा –

कारखाना अधिनियम –1948 की धारा –21 के परिपेक्ष्य में रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन के कारखाना क्षेत्र को बावंड्रीवाल से घेराव किया गया है एवं खतारनाक मशीनों को बाड. लगाकर घेर दिया गया है जिससे आम आदमी की पहुँच वहां तक न हो पाय और बडी. दुर्घटना होने से सुरक्षित बचा जा सके एवं जिसके फलस्वरूप कोई भी जान.माल की क्षति न हो पाय।



■ उत्तोलक और उत्थापक –

कारखाना अधिनियम की धारा –28 के परिपेक्ष्य में श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन के उत्पादन इकाई में उत्तोलक एवं उत्थापक की उचित व्यवस्था की गई है जिसकी मदद से भारी कल पूर्जों को एवं लोहे के बडे.-बडे. भागों को आसानी से श्रमिक एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाकर फिटिंग करते है तथा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन-रात परिश्रम करते है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी पध्दति का उपयोग करते हुए अपने कार्य निष्पादन को आगे बढाते है। एवं इसतरह से एक दिन उनकी सफलता मिल जाती है।



उत्थापक की मदद से निर्मित इंजन के अधुरे भाग को उठाते हुए श्रमिक

■ **आँखों का बचाव –**

कारखाना अधिनियम की धारा –35 के परिपेक्ष्य में श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन के उत्पादन इकाई में जो श्रमिक वेल्डींग या खतरनाक कार्य करते हैं। जिसमें आँखों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना अत्यधिक है वैसे कार्यरत श्रमिकों के आँखों की बचाव के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की आई प्रोटेक्टेड कीट, हेलमेट प्रदान की जाती है तथा साथ में उन्हें आवश्यक संरक्षण पोशाक के साथ दस्ताना (Hand gloves), सैफटी जुते इत्यादि के साथ ही ड्युटी में योगदान हेतु अनुमति प्रदान की जाती है जिससे श्रमिकों के शारीरिक संरक्षण एवं सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न हो। इस कारखाने के सभी श्रमिकों को समय –समय पर आवश्यक संरक्षण एव बचाव वाले पोशाक की भी आपूर्ति की जाती है।

■ **आग लगने की दशा में सावधानियाँ :-**

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-38 के परिपेक्ष्य में बताना है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना का क्षेत्र व्यापक है। आग की दशा में कारखाने एवं कारखाने के बाहर और भीतर सहित श्रमिकों की आग से सुरक्षित बचाव की दृष्टि से बच निकलने के लिए सभी सुरक्षित साधन के उपाय किये गये हैं। आग को बुझाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की गई है तथा इन उपकरणों की संचालन एवं देख-रेख हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस कारखाने के परिसर में फायर स्टेशन की व्यवस्था की गई है जिसमें अग्निशमन की गाड़ियों एवं सभी आवश्यक उपकरण को रखा गया है तथा जिससे आवश्यकता पडने पर इन सभी का इस्तेमाल सही समय पर किया जा सके।



■ सुरक्षा अधिकारी—

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-40(ख) के परिपेक्ष्य में बताना है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना का क्षेत्र व्यापक है। एवं इस कारखाने में श्रमिकों की संख्या हजारों में होने के कारण सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसका उत्तरदायित्व होता है कि श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखना जिससे श्रमिकों की शारीरिक क्षति, बिमारी की जोखिम तथा स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा न हो।

■ कैंटीन की व्यवस्था :-

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-46 के परिपेक्ष्य में बताना है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना का क्षेत्र व्यापक होने के कारण तथा कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण तथा इन श्रमिकों और कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए एक सुयोजित तरीके से इस कारखाने के क्षेत्र में कुल तीन कैंटीनों का निर्माण कराया गया है जिसमें यहाँ के सारे कर्मचारियों व श्रमिकों को उचित और पर्याप्त मूल्य में स्वादिष्ट नाश्ते और भोजन का सुविधा प्रदान की जा रही है जो निम्नलिखित है:-

1) **महाप्रबंधक कार्यालय के परिसर में एक कैंटीन** का निर्माण किया गया है जिसमें महाप्रबंधक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा इस कैंटीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ भी उचित और पर्याप्त मूल्य में स्वादिष्ट नाश्ते और भोजन का आपूर्ति की जाती है।

2) **टाइम ऑफिस गेट के सामने एक कैंटीन** का निर्माण किया गया है जिसे **कारखाना कैंटीन** कहा जाता है इसमें ऐसे श्रमिक जो वर्कशॉप में कार्य के लिए आते हैं वे इस कैंटीन का उपयोग करते हैं। इसमें भी नाश्ते से लेकर भोजन तक की आपूर्ति उचित मूल्य में की जाती है।

3) वर्क ऑफिस गेट के सामने एक कैटीन का निर्माण किया गया है जो कर्मचारी वर्क ऑफिस में कार्य के लिए आते हैं वे इस कैटीन का उपयोग करते हैं। इस कैटीन में भी नाश्ते से लेकर भोजन तक की आपूर्ति उचित मूल्य में की जाती है।



■ सप्ताहिक घंटे :-

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-51 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह में कुल छह दिन तक कार्य करने के अनुमति है अर्थात् $6 \times 8 = 48$ घंटे । श्रमिकों को एक सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करने पड़ते हैं।

■ सप्ताहिक अवकाश दिन :-

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-52 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह में कुल छह दिन तक कार्य करने के बाद एक दिन अवकाश दिया जाता है।

■ दैनिक घंटे :-

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-54 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कार्यरत श्रमिकों को 8 घंटे तक ही कारखाना के उत्पादन कार्य कराये जाते हैं । इसके लिए कार्यों को तीन पारियों में बाँटा गया है जो इस प्रकार है -

- (क) सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:00 बजे तक एवं 12:15 बजे लेकर 15:45 तक ।
- (ख) दोपहर 15:45 बजे से 19:45 बजे तक एवं 20:20 बजे लेकर 00:30 बजे तक ।
- (ग) रात 22:00 बजे से लेकर 3:00 बजे तक एवं 3:30 बजे लेकर सुबह 06:30 तक ।

■ **विश्राम अंतराल :-**

भारतीय औद्योगिक कारखाना अधिनियम की धारा-55 के परिपेक्ष्य में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 8 घंटे तक ही कारखाना के उत्पादन कार्य कराये जाते हैं । इसके लिए कार्यों को तीन पारियों में बाँटा गया है एवं प्रत्येक पारी में विश्राम अंतराल रखा गया है जो इस प्रकार है –

- (क) सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:00 बजे तक एवं 12:15 बजे लेकर 15:45 तक के कार्य में विश्राम का समय 11:00 बजे लेकर 12:15 तक है ।
- (ख) दोपहर 15:45 बजे से 19:45 बजे तक एवं 20:20 बजे लेकर 00:30 बजे तक के कार्य में विश्राम का समय 19:45 बजे लेकर 20:20 तक है ।
- (ग) रात 22:00 बजे से लेकर 3:00 बजे तक एवं 3:30 बजे लेकर सुबह 06:30 तक के कार्य में विश्राम का समय 3:00 बजे लेकर 03:30 तक है ।

■ चित्तरंजन रेल कारखाना में ट्रेड यूनियन की भूमिका

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में श्रमिकों से सम्बंधित समस्याओं और माँगों को रेल प्रशासन एवं सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने तथा इनके बीच में सेतु का कार्य करने हेतु विभिन्न प्रकार के ट्रेड यूनियनों और एसोशियेशनों का गठन किया गया है जिसमें से कुछ पंजीकृत संगठन हैं और कुछ अपंजीकृत। ये सभी संगठन समय-समय पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के श्रमिकों की विभिन्न माँगों के समर्थन में रेल प्रशासन और केन्द्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहें हैं। श्रमिकों की माँगों को पुरा कराने के लिए हर सम्भव प्रयासरत हैं। जिनकी सूची इस प्रकार हैं :-

- 1) इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन ।
- 2) ऑल इंडिया एसी/एसटी इम्प्लॉई एसोसिएशन/सी एल डब्लू।
- 3) सी एल डब्लू रेलवे मेंन्स युनियन।
- 4) सी एल डब्लू मजदूर युनियन।
- 5) चित्तरंजन रेलवे मेंन्स कॉग्रेस।
- 6) सी एल डब्लू लेबर युनियन।
- 7) सी एल डब्लू प्रोग्रेसिव ऑन रिकोगनाइज्ड मजदूर युनियन।
- 8) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना कर्मचारी संघ।
- 9) ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लॉई एसोसिएशन ।
- 10) ऑल इंडिया रेलवे एकावंटस एसोसिएशन।
- 11) युथ नेशनल ट्रेड युनियन कॉग्रेस।



केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी एवं चिरेका की स्थानीय नीतियों के खिलाफ सीटू से संबन्धित लेबर यूनियन ने चिरेका महाप्रबंधक कार्यालय गेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर 2019 में धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सह वर्द्धमान जिला महासचिव कॉमरेड वंशगोपाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई फैसला जनहित में नहीं कर रही है। रेलवे में कई प्रकार की विसंगतियां चल रही हैं। परंतु इस पर ध्यान नहीं देकर सरकार कारखाना को प्राइवेट करने का कुचक्र चलने का कार्य कर रही है। कहा कि चिरेका में कार्यरत कर्मचारियों को कई सुविधा से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। यह सब जल्द बंद नहीं होगा, तो अन्य यूनियन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर के वर्द्धमान जिला उपाध्यक्ष आलोक घोष ने कहा कि चिरेका में ऑन लोडिंग एवं आउटसोर्सिंग पर रोक अविलंब लगनी चाहिए। कहा कि चिरेका में उत्पादन के अनुरूप कर्मचारी पर्याप्त है। इसके बावजूद प्राइवेट में लोगों को लेना बंद होना चाहिए। चिरेका सीटू महासचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि बायोमैट्रिक लगाने के फैसले का हम विरोध नहीं करते हैं, हम तो उसके साथ आधार से लक करने के फैसले का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिरेका सीटू अध्यक्ष आरएस चौहान ने कहा कि रेलवे में एक्ट अप्रेंटिसों को नौकरी रेल में देना होगा। नया पेंशन स्कीम रद्द करना होगा एवं पुरानी पेंशन नीति लागू करना होगा। मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया और चार बजे महाप्रबंधक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

-- यूनियन की प्रमुख मांगें -

लेवर यूनियन की आठ प्रमुख मांगें हैं। जिसमें चित्तरंजन कारखाना को आधुनिकीकरण करें और 9000-12000 एचपी विद्युत लोको का अविलंब उत्पादन करने की मांग की गई। स्टाफ काउंसिल रद्द करने और अविलंब गुप्त मतदान के माध्यम से यूनियन की स्वीकृति देने। जॉब टाइम से 18 प्रतिशत समय कटौती वापस लेने एवं पीस वर्क कर दर 7वें वेतन आयोग के अनुसार अविलंब निर्धारित करें। एनपीएस अविलंब रद्द करें व पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पीएलवी बोनस की उपरी सीमा अविलंब हटाने की मांग की गई। डानकुनि में अविलंब इंसेंटिव चालू करने की मांग की गई। रेल शिक्षकों के क्षेत्र में प्रति 12 वर्ष पर एसीपी बंद कर प्रति 10 वर्ष पर एमएसीपी लागू करने व 10 दिनों का अर्जित अवकाश पुनः बहाल करने की मांग की। आधार कार्ड आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति बंद करने की मांग की गई।

ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन ने भारतीय रेल में निजीकरण प्रक्रिया के विरोध में शुक्रवार (19 July 2019) को ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन ने महाप्रबंधक कार्यालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने इस दौरान महाप्रबंधक के माध्यम से रेल मंत्री पीयूष गोयल को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कार्य समिति सदस्य व चिरेका के विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधि काला झंडा हाथों में थामे थे। और कहा कि किसी भी कीमत पर रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे।

■ चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के भौगोलिक परिवेश तथा पर्यावरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) 18.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कार्यशालाएं, कार्यालय, स्कूल कॉलेज, स्टाफ रेल क्वार्टर, सिनेमा हॉल, इनडोर स्टेडियम और सभागार चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) के उत्तरी क्षेत्र से होकर अजय नदी बहती है। कारखाना कार्यालय एवं क्वार्टर चारों ओर से हरे-भरे पेड़ों एवं वृक्षों से घिरे हुए हैं एवं इनके बीच पर्याप्त दूरी है। यहां अनेक जलाशय हैं जो हरे-भरे पर्यावरण को दर्शाते हैं। ये जलाशय प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं। सालभर यहां विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीव जन्तु देखे जा सकते हैं।



रेल क्वार्टर

::28::

पर्यावरण के प्रति सजग होने के बहुत पहले ही चिरेका प्रशासन ने शुष्क क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण प्रारंभ किया। वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल सरकार के सोशल फॉरेस्ट्री डिविजन की मदद से 90,000 छोट-छोटे पौधे लगाए । उसी एजेंसी की मदद से वर्ष 2005 में भी 50,000 छोटे पौधे लगाए गए।



पर्यावरण के प्रति सजग होने के बहुत पहले ही चिरेका प्रशासन ने शुष्क क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण प्रारंभ किया।

वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल सरकार के सोशल फॉरेस्ट्री डिविजन की मदद से 90,000 छोट-छोटे पौधे लगाए । उसी एजेंसी की मदद से वर्ष 2005 में भी 50,000 छोटे पौधे लगाए गए। प्रशासन लगातार कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और परिरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है।

हाल ही में, पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से काफी काम किया गया है, साथ ही सभी वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ऐसे प्रयास को विश्व पर्यावरण फाउंडेशन ने मान्यता प्रदान की है एवं चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) को 9 जून 2006 को पर्यावरण प्रबंधन के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2006 से नवाजा गया। चिरेका ने पूरी तरह से औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1948 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। चिरेका अपनी संरक्षा नीति के संबंध में चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 100% संरक्षा सुनिश्चित करता है। चिरेका को संरक्षा नवीनीकरण पुरस्कार 2006 प्राप्त करने पर गर्व है। चिरेका को यह पुरस्कार संरक्षा एवं गुणवत्ता फोरम के इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) ने 6 सितम्बर, 2006 को प्रदान किया। हमने वर्ष 2009 में भी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन जारी रखा तथा चिरेका को 30.09.09 को पुनः सेफ्टी इनोवेशन से नवाजा गया। चिरेका ने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन जारी रखा एवं 2009-10 में 220 लोको का रिकॉर्ड संख्या में उत्पादन सफलतापूर्वक किया।

चिरेका ने 2009-10 में अपना हीरक जयंती वर्ष मनाया। इस वर्ष बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चिरेका के हीरक जयंती वर्ष में कदम को स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक पतंग प्रतियोगिता मार्च, 2009 में आयोजित की गई। हीरक जयंती वर्ष मनाते हुए इस कार्यक्रम को नगरी के निवासियों के साथ मनाया गया। इस वर्ष कुछ पार्कों का नवीनीकरण भी किया गया।

हेड योजना जेनरेशन (एचओजी) योजना सहित पहला विद्युत रेलइंजन (डब्ल्यूएपी-7 प्रकार सं.30277) 30 जून, 2010 को महाप्रबंधक/चिरेका ने रवाना किया। चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना में पहला 3 फेज़ विद्युत रेलइंजन (डब्ल्यूएजी-9 लोको सं.31291) कैब एयर कंडीशनिंग सुसज्जित कर रवाना किया गया एवं देश की सेवा में 31.01.2011 को समर्पित किया गया।

भारतीय स्टीम रेलवे सोसाइटी द्वारा 18 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्टीम रेलवे सोसाइटी के 9वें नेशनल स्टीम कॉंग्रेस कार्यक्रम में देश में वाष्प रेलइंजन उत्पादन में बेहतरीन योगदान के लिए चिरेका को सम्मानित किया गया। श्री संजीव हांडा, सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड ने स्मृति चिह्न व प्रमाणपत्र प्रदान किए एवं इसे श्री राधे श्याम, महाप्रबंधक/चिरेका ने प्राप्त किया।

भारतीय रेलवे (Indian Railways) के चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप (CLW) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कोरोना वायरस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बावजूद चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 150 रेल इंजनों का उत्पादन पूरा कर लिया है. चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की दनकुनी स्थित यूनिट से 150 वें इंजन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया. वर्कशॉप से 8 सितम्बर को ही 100 वां इंजन बन कर निकला था. अप्रैल और मई में पूरी तरह से लॉकडाउन और जुलाई, अगस्त और सितंबर में आंशिक लॉकडाउन के बावजूद ये प्रोडक्शन किया गया है. भारतीय रेलवे के चितरंजन रेल इंजन कारखाने ने देश की सेवा करते हुए अपने 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं.

इस कारखाने ने स्टीम इंजन से शुरुआत कर डीजल और अब इलेक्ट्रिक इंजन को मिलाकर कुल 10,000 से ज्यादा रेलवे इंजन बनाने का काम पूरा किया जा चुका है. 1948 से ये रेल फैक्ट्री लगातार इंजन बना रही है. वर्ष 2019-20 में कुल 431 इंजन का निर्माण कर CLW ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. चितरंजन लोकोमोटिव में डब्ल्यूपी 7 इंजन भी बनाया जा रहा है ये इंजन हेड ऑन जनरेशन तकनीक पर चलता है. इसके चलते इस इंजन में बिजली की खपत काफी कम हो जाती है. इस इंजन को राजधानी और शाताब्दी जैसी हाई स्पीड गाड़ियों में चलाया जा रहा है.

200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चलने वाले इंजन बनाए चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में हाल ही में 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चलने की क्षमता वाले इंजन डब्ल्यूपी 5 भी बनाया गया है.

इंजन डब्लूएपी 5 के जरिए पुश एंड पुल तकनीकी की मदद से भी ट्रेनों को चलाया जा रहा है. कई तरह के इंजन बनाए हैं इस फैक्ट्री में 6000 एचपी से लेकर 9000 एचपी तक के इंजन को बनाया गया है. इस इंजन के जरिए माल गाड़ियों को चलाया जाता है. 9000 एचपी के इंजन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चलाया जा चुका है.

प्रेस विज्ञप्ति

चिरेका में अनुकंपा नियुक्ति पर अदालत

चित्तरंजन, 28-03-2018 चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) के प्रसाशनिक भवन की कैंटीन में दिनांक 28 मार्च 2018 को चिरेका में अनुकंपा नियुक्तियों पर प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अदालत आयोजित की गयी. इस अवसर पर, श्री ए. के. मेश्राम, प्रिंसिपल मुख्य कार्मिक अधिकारी तथा कार्मिक विभाग के अन्य अधिकारी इस अदालत में उपस्थित थे. श्री मेश्राम ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में अनुकंपा नियुक्ति पर शिकायतों को शीघ्र निवारण करने का आश्वासन दिया. अनुकंपा नियुक्ति के कुल 20 शिकायतों के मामले प्राप्त हुए. अदालत में लगभग सभी शिकायतों को सुना गया. आशा है कि इससे अनुकंपा पर नियुक्ति प्रक्रिया में गति आयेगी

**चिरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा प्रशासनिक भवन में कार्यरत
महिला कर्मचारियों के साथ वार्तालाप**

चित्तरंजन 14-3-18 ; कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में आने वाली दिक्कतों से निबटारे एवं महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से चिरेका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष, डॉ रेखा पाठक की ओर से आज सुबह प्रशासनिक भवन के सभागार में सभी कार्यरत महिलाओं के साथ बहु आयामी विषयों पर चर्चा की . उन्होंने इस चर्चा में कामकाजी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया तथा उनके द्वारा दोहरे उत्तरदायित्व को कर्मठता से निभाने के लिए उनकी सहायता की । रेलवे की केंद्रीय महिला संगठन की पहल पर चिरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा भी महिलाओं एवं कन्याओं की सुविधा के लिए दस्तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विषय में विस्तार से चर्चा की गयी यह महिलाओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है. इस वार्तालाप में संगठन की पदाधिकारी सदस्याएं, डॉ रेखा पाठक , श्रीमती साधना गुप्ता, श्रीमती शताब्दी मजूमदार, श्रीमती प्रिय राजू, श्रीमती सोनम गौड़, श्रीमती माला घोष एवं डॉ तुलु चक्रबोर्ती , सीनियर डीएम्ओ , कस्तूरबा गाँधी अस्पताल , चित्तरंजन उपस्थित थीं । डॉ रेखा पाठक ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए एवं कार्यस्थल पर उनके अधिकारों के बारे में भी उन्हें बताया ।

आशा है कि चिरेका महिला कल्याण संगठन का यह प्रयास महिला सशक्तीकरण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाएगा.

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना

चित्तरंजन प्रेस रिलीज़

रेलइंजन चिरेका का प्रथम विद्युत् इंजन जिसमें लोको पायलट के लिए टॉयलेट का प्रावधान

- प्रेस चित्तरंजन 01-6-2017; विज्ञप्ति चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) में आज अपराह्न में प्रथम विद्युत् इंजन (सं. 31952) WAG-9H टाइप, जिसमें लोको पायलट के लिए टॉयलेट का प्रावधान किया गया है, चिरेका के महाप्रबंधक, श्री वी.पी.पाठक के द्वारा झंडी दिखा कर उद्घाटन किया गया. इस टॉयलेट में इनबिल्ट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड वैक्यूम टॉयलेट एवं बायो डाईजेस्टर लगा है. इस अवसर पर चिरेका के वरीय अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे. जैसा कि विदित हो कि इंजन के लोको पायलट्स जो कि माल गाड़ियों के परिचालन में बहुत ही कठिन परिस्थियों में कार्य निष्पादन करते हैं एवं टॉयलेट का प्रावधान नहीं होने पर उन्हें आपातकाल में काफी कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है. इसे दूर करने हेतु यह प्रावधान किया गया है. माननीय रेल मंत्री के पिछले बजट भाषण में इस बारे में उल्लेख पर, चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के द्वारा रेलइंजन के भीतर ही क्यूबिकल बना कर यह प्रावधान किया गया है. आशा है कि इससे लोको पायलट्स को अपने कार्य निष्पादन में सहूलियत होगी तथा साथ ही साथ भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की ओर

चिरेका का एक महत्वपूर्ण एवं यथोचित योगदान होगा चिरेका ने समय समय पर तकनीकी विशेषताओं एवं एर्गोनॉमिक डिजाइन को अपनाया जिससे भारतीय रेल के लिए उचित एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ, सुरक्षित, समयनिष्ठ एवं कुशलता से गाड़ियों के संचालन हो सके.

गुणवत्ता नीति

चिरेका एक आई एस ओ - 9001:2008 इकाई

चिरेका के पास सुस्थापित गुणवत्तापूर्ण प्रणाली है। चिरेका का लोको कारखाना एवं इस्पात फाउण्ड्री ने आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन 1996 में प्राप्त किया। वर्तमान आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन की वैधता सितम्बर 2017 तक है।

चिरेका में अपनाई गई गुणवत्ता नीति इस प्रकार है :

- ❖ विद्युत रेलइंजन, कर्षण उपकरण एवं रोलिंग स्टॉक कास्टिंग के निर्माण में अग्रणी चित्तरंजनरेलइंजन कारखाना ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है।
- ❖ हम सतत् प्रगति के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना कर एवं गुणवत्ता नीति तथा गुणवत्ता लक्ष्यों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं।
- ❖ हमारी गुणवत्ता नीति संगठन में सभी को संचारित है एवं सभी लोगों द्वारा समझी जाती है तथा आवधिक रूप से पुनरीक्षित की जाती है।

नवीन परियोजनाएं

प्लान हेड - 4200 कैपिटल (पूंजी) के अंतर्गत निधि

1. **3 - फेज की उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 50 लोको करने के लिए सुविधाओं का संवर्धन (ए.पी.- 50)**

3 - फेज लोको की उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 50 लोको तक बढ़ाने के लिए सुविधाओं का संवर्धन । दीर्घ अवधि के दृष्टिकोण से, 3 - फेज लोको के उत्पादन में वृद्धि होगी एवं पारम्परिक लोको का उत्पादन धीरे-धीरे घटेगा ।

2. **चिरेका की उत्पादन क्षमता को 200 लोको प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन करने के लिए परियोजना (ए.पी.-200)** चिरेका की उत्पादन क्षमता को 200 लोको प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन करने के लिए परियोजना। इस परियोजना की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि चिरेका की लोको उत्पादन क्षमता को 200 लोको प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जा सके (इसमें 3 - फेज लोको का 50 लोको प्रतिवर्ष उत्पादन सम्मिलित है), जिससे भारतीय रेल में लोको की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

3. **चिरेका में लोको की उत्पादन क्षमता को 200 लोको प्रतिवर्ष से 275 लोको प्रतिवर्ष तक संवर्धन एवं आधुनिकीकरण करना (ए.पी - 275)** लोको की उत्पादन क्षमता का 200 से 275 लोको प्रतिवर्ष तक संवर्धन एवं आधुनिकीकरण । रेलवे के माल एवं यात्री यातायात में बढ़ोतरी एवं

नवीन विद्युतीकृत मार्गों के लिए विद्युत लोको की मांग को पूरा करने हेतु, चिरेका को विद्युत लोकोमोटिव बनाने की क्षमता को 275 प्रतिवर्ष तक करना है।

4. विद्युत इंजन कारखाना, डांकुनी, पश्चिम बंगाल

यह इकाई, चिरेका की अधीनस्थ इकाई की तरह कार्य करेगी। प्रारम्भ में पुर्न उत्पादित ब्रेकिंग वाले, 3 - फेज उच्च हार्स पावर क्षमता 6000 HP (डब्लू.ए.जी-9) के स्टेट आफ आर्ट विद्युत इंजन बनाए जाएंगे। तत्पश्चात भविष्य में इन मूलभूत सुविधाओं का प्रयोग 9000 हार्स पावर क्षमता के लोको के उत्पादन में किया जायगा।

5. विद्युत चल स्टाक के लिए प्रगतिशील तकनीकी प्रणाली के अभिकल्प, विकास एवं निरूपण के लिए उत्कृष्टता का केंद्र

उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य, विद्युत चल स्टाक के लिए प्रगतिशील तकनीकी प्रणाली के अभिकल्प, विकास एवं निरूपण की क्षमता का विकास करना है। इसका उद्देश्य विद्युत चल स्टाक उपकरण के क्षेत्र में तकनीकी आयात की वर्तमान स्थिति से तकनीकी निर्यातक की स्थिति में आना है। इस परियोजना से मुख्य लाभ यह होगा कि हम विद्युत चल स्टाक उपकरणों के विकास के क्षेत्र में स्वालम्बी होंगे, जोकि व्यापक रूप में न केवल हमारी चल स्टाक में नवीन तकनीकी को अंगीकार करने की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद्गार होगा, बल्कि हम इस स्थिति में होंगे, कि हम उभरते हुए वैश्विक बाज़ार में विभिन्न देशों की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति कर सकें।